

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

आवेदन पत्र - ख

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड में नाम जोड़ने / हटाने / संशोधन / कार्ड समर्पण / चुप्लीकेट कार्ड / कार्ड स्थानांतरण / उचित दर दुकान बदलने हेतु आवेदन पत्र [जो लागू हो उस पर (V) करें] फार्म भरने हेतु दिशा निर्देश पीछे दिये गये हैं।
चेतावनी— इस फार्म में गलत सूचना देना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जुर्माना तथा सजा हो सकती है, तथा उपभोक्ता कार्ड रद्द किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड नं.

2. मुखिया का नाम : 3. पिता/पति का नाम :

4. परिवार की वर्तमान वार्षिक आय : व्यवसाय

5. यदि आवेदन मुखिया बदलने हेतु है, तो (i) नये मुखिया का नाम:
मुखिया बदलने का कारण: वर्तमान मुखिया की मृत्यु/शादी/नये मुखिया का व्यस्क होना/अन्य

(II). नये मुखिया के पति/पिता का नाम :

(III) मोबाइल नं. ईमेल :

(IV). परिवार के सभी वर्तमान सदस्यों के नाम व उनका नए मुखिया से संबंध (क.सं. 1 पर नये मुखिया का

यदि आवेदन मुखिया
बदलने हेतु है तो नये
मुखिया का नवीनतम
फोटो

| क्र.सं. | नाम | मुखिया से संबंध | आधार नं./एनपीआर नं. |
|---------|-----|-----------------|---------------------|
| 1. | | स्वयं | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

क्रम सं. 6. से 11 में केवल अपेक्षित संशोधन संबंधित सूचना ही दें। जो लागू हो उस पर (✓) करें।

6. डुप्पीकेट कार्ड बनवाने का कारण : खोया क्षति
7. नाम जोड़ने / हटाने का विवरण :

| क्र. सं. | नाम | मुख्या से संबंध | आधार नं. /ई.आई.डी.नं. एन.पी.आर. नं. | जोड़ना / हटाना | कारण |
|----------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8. उ.द.दु. बदलने का कारण :

वर्तमान उ.द.कू. का लाईसेंसर नं नाम:.....

प्रस्तावित उ.द.द. का लाईसेंस नं. नाम:.....

9. कार्ड स्थानांतरण: जहाँ कार्ड स्थानांतरण करना है, उसका पता

- ### 10. कार्ड में संशोधन

| वर्तमान विवरण (नाम/पता) | वांछित संशोधन |
|-------------------------|---------------|
| | |

11. कार्ड समर्पण का कारण:- (i) दिल्ली से बाहर जाने पर (ii) खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत पात्रता समाप्त होने पर

घोषणा:- मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्तता शर्तों को पूरा करती/करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर मैं आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 व भारतीय दण्ड संहिता 1973 व अन्य कानूनों के अधीन सजा का जिम्मेदार होउंगा/होउंगी व किसी भी गलत सूचना के दिए जाने पर सजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किए जाने का जिम्मेदार होउंगी/होउंगा।

- प्रार्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान प्रार्थी का नाम

..Tear from here

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पावती रसीद

नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड में नाम जोड़ने / हटाने / संशोधन / कार्ड समर्पण / छुप्लीकेट कार्ड / कार्ड स्थानांतरण / उचित दर दकान बदलने हेतु श्री / श्रीमति से दिनांक को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक :-

NFS ID नं.....

खाद्य संभरण कार्यालय मंडल संख्या:

आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करें

1. प्रतिरूप कार्ड के लिए:- एफ.आई.आर./एन.सी.आर. की कॉपी

2. मुखिया बदलने के लिए - मुखिया के आधार कार्ड की कॉपी

3. सदस्य जोड़ने हेतु

i. समर्पण (**Surrender**) प्रमाण पत्र या **Deletion Certificate** (यदि सदस्य का नाम किसी और राशन कार्ड में है)

ii. सदस्य जिसका नाम जोड़ना है उसके आधार कार्ड/ई.आई.डी.नं./राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नम्बर की प्रतिलिपि।

4. निरसन /नाम हटाने (Deletion)

मृत्यु के कारण है तो मृत्यु प्रमाण पत्र।

5. पता बदलने पर

मण्डल में या मण्डल के बाहर पता बदलने के लिए नये पते का प्रमाण : किरायानामा या बिजली का बिल/पानी का बिल/टेलीफोन बिल या नये पते के आधार कार्ड की कॉपी या अन्य सरकारी दस्तावेज।

6. संशोधन के लिए - प्रस्तावित संशोधन से संबंधित दस्तावेज की कॉपी।

कार्यालय के प्रयोग हेतु

निरीक्षक की रिपोर्ट :

भौतिक सत्यापन हाँ नहीं लागू नहीं

सिफारिश की जाती है सिफारिश नहीं की जाती है

यदि सिफारिश नहीं की जाती तो उसका विवरण

निरीक्षक के हस्ताक्षर नाम..... दिनांक.....

खाद्य संभरण अधिकारी की रिपोर्ट :

अनुमोदित अनुमोदित नहीं

अगर अनुमोदित नहीं तो उसका कारण

खा. स. अधिकारी के हस्ताक्षर नाम दिनांक

इस फार्म में आवेदन केवल परिवार के मुखिया या नए प्रस्तावित मुखिया द्वारा ही किया जा सकता है।